

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 04.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त राजू पुत्र रामबली निवासी देवराबारी थाना बासगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 114 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश पाण्डेय मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 08 वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 06 वारण्टी_नाम पता 1- हनुमान पुत्र शीतल 2- हरीराम पुत्र शीतल निवासीगण प्रजापतिपुर 3- जमुना बेलदार पुत्र नशई बैलदार निवासी सुरैना 4- रामदरस पुत्र दुखी निवासी पड़रिया 5- राजदेव पुत्र दुबर निवासी तेजपुर 6- रमेश पुत्र धर्मराज निवासी रोसया बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1- अमरजीत पुत्र मदनी 2- साधु पुत्र मदनी निवासीगण झूंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।



वारण्टी थाना धनघटा

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 ने मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल - पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1834 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 09 मिनट मे घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को पीआरवी से इलाज हेतु अस्पताल मे भर्ती करवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की जान की जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ –मुख्य आरक्षी राजकुमार यादव , मुख्य आरक्षी फूल सिंह, हो0चा0 सुनील पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 07 वाहन चालान, 85 वाहनो से 17900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 04-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 07 वाहन चालान, 85 वाहनो से 17900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 08 अभियुक्त गिरफ्तार –

- 1- धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 2 - महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 3 – बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 4 – मेहदालव पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 04-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 18 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 64 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।